न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश स्ट ग्वालियर म0 प्र0

=-=

नि/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2017/6174

निगरानी क्रमांक :-

§1§ हरदास तनय रमुवा कुशवाहा आयु 41 बर्ष व

§2§ लक्षमन तनय रमुवा कुशवाहा आयु 37 बर्ष

§3§ श्यामली तनय रमुवा कुशवाहा आयु36 बर्ष

समस्त निवासी हनौता तहसील पलेरा जिला

टीकमगढ म0 प्र0

........निगरानीकर्तागण/आ.

बनाम

(1) जगदीश आ० श्री रामुक्का आधी 55वर्ष सा- हनौता तह०-पलेरा जिला टीकमगढ़

(2) मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार पलेरा जि.

टीकमगढ म0 प्र0

.... प्रतिनिगरानीकार/अना

धारा - 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अर्न्तगत

प्रतिकूल आदेश विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पलेरा

जिला टीकमगढ के राजस्व प्रकरण क्रमांक 35/अ-6/2016-017

मेँ पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 के विरुद्ध -

महोदय,

प्रार्थी निगरानीकर्तागण/आवेदकगण सादर निम्न प्रकार विनयी

§1§ यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पलेरा द्वारा राजस्व प्रकर क्रमांक 35/अ-6/2016-2017 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 विधि विपरित एवं प्रकिृया के पूर्ण प्रतिकूल होने से श्रीमान न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप एवं निरस्ती यो है ।

क्र० के० यदुवंशी अभि० ... दि. 18-12-17 ... प्रारंभिक ... दिनांक 12-1-18

18/12/17

12/01/18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–एक / निगरानी / टीकमगढ़ / भू.रा. / 2017 / 6174

हरदास आदि विरूद्ध जगदीश व मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार पलेरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25–04–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के प्र.क्र. 35 / अ–6 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 31–10–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–06–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 25/4/19	